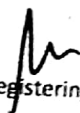


(H)

RECEIPT FOR FEE DEPOSITED FOR SEARCH & COPY

Serial number of application..... 42847
 Date of application..... 5/9/18
 Name of applicant..... Ram Parveen Rai
 Fees Paid.....
 Stamp Paper for..... 360
 Date of deposit.....


 Registering Officer

र प्रमाण-पत्र

एक गांधीनगर

आवेदन सं

80387/2018Rai

निर्दिष्ट संव्यवहारों और अवधारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये।

संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में दही में

और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिका में तारीख

20-1-1988

से तारीख

2004

तक चलायी की गयी और ऐसी चलायी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता पड़ा

चला है अर्थात्

कमाली इलाहाबाद

क्र.सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रो दिदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza		Kethwa					
	P.S.		Khagaul (Dangpur)					
	P.S.No		37					
	Khata No		145					
	Tauzi No		809					
	Plot No		82					
	Ward No		37					
	Area		54 sec					
			" Universal Ultima "					

1. दस्तावेज को अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ध्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। दशतों की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
यै यह प्रमाणित करता है कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

[Signature]

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

[Signature]

(पदनाम):

कार्यालय:

Patna

तारीख:

15-9-18



मुख्य एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2 निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रबंधितियों देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

✓ किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूटे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक: 8203

ज्ञाप संख्या:

दिनांक: 15-9-18

आवेदक श्री Ram Prakesh Rai

का अधिभार प्रमाण-पत्र द्वारा, Manager, SBI, RAEC, Patna Main Br. Patna

का उनके पत्र संख्या: दिनांक 15/9/18 के प्रसंग में अगसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

15/9/18

Patna

Scanned by CamScanner